

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 43/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 22.09.2017 निर्णय दिनांक : 23.11.2017

राजस्थान सरकार बनाम मोहनलाल पुत्र कुम्भाराम मेघवाल
हीमताराम पुत्र बचनाराम गुर्जर
नि0 कुचामन सिटी

-: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोहनलाल पुत्र कुम्भाराम वगैराह निवासीयान कुचामन सिटी नें ग्राम कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 523, 524 कुल किता 2 रकबा 0.95 हैक्टेयर में से रकबा 0.95 हैक्टर अर्थात् सम्पूर्ण किस्म गै.मु. बारानी2 भूमि पर सम्बत 2074 में बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये गये। नोटिसों की प्रतिया गैर सायलान स्वयं ने प्राप्त किये। गैर सायलान अनुपस्थित रहे।

गैर सायलान आज दिनांक को भी अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई गैर सायलान का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायलान ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे हैं।

गैर सायलान को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम कुचामन सिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 523, 524 कुल किता 2 रकबा 0.95 हैक्टेयर गै.मु. बारानी2 भूमि में से रकबा 0.95 हैक्टेयर अर्थात्



लगातार

